



दिनांक - 18.02.2016

संलग्न- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति।

ATTESTED

हस्ताक्षर नाम एवं मुहर सहित
पंचायत सभा
सरपंच/ग्राम प्रधान/सचिव

05/05/16

हस्ताक्षर
दिनांक

आशुभत/सहमति व्यक्त करती है।

की विकास की सम्पादन है। अतः ग्राम सभा एवं पंचायत उक्त कार्य पर अपना
4. वन भूमि के प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप सम्पादित किए जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र
प्रस्ताव के विवरण पर विचार विमर्श करके प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पारित किया।

भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है कि पुष्टि के पश्चात ग्राम सभा ने प्रत्यावर्तन के
पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन
की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का
सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों
3. ग्राम सभा यह भी प्रमाणित करता है कि प्रत्यावर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के
प्रतिफल से अधिक सदस्य उपस्थित थे।

वर्षा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 18.02.2016 को की गई। जिसमें ग्राम सभा के 50
वन निवासीयों हेतु ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर
2. उपरोक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के
भीरजापुर-रीवा मार्ग-NH-135 की संरक्षित वन भूमि में प्रवेश एवं निकास हेतु वन
निसका खसरा क्रमांक- 1743, 1744 में बनाया जाना है। उक्त भूमि के सामने स्थित
भूरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम बाभी वन खण्ड लालगंज में राजख क्षेत्र में स्थित निजी भूमि
1. इन्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट का निर्माण किया जाना है जो

प्रमाणित किया जाता है कि-

ग्राम सभा की सहमति पत्र

कायस्थ ग्राम बाभी जनपद पंचायत, भीरजापुर
तहसील लालगंज, जिला भीरजापुर (उ०प्र०)